उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक)

'अरण्य विकास भवन', 73–नेहरू रोड़, देहरादून, दूरभाष : 0135–2657610, फैक्स : 0135–2655488

पत्रांक–नि0 7492 / 13–1 / विकास कार्य / रॉयल्टी   दिनांक: 20 मार्च, 2017

स्थायी आदेश

विषय :– विकास कार्य के वृक्षों के निस्तारण हेतु जारी स्थायी ओदश संख्या नि–3830 / 13–1 / विकास कार्य / रॉयल्टी, दिनांक 14.09.2016 के बिन्दु सं0 7 का आशय

विभिन्न विकास परियोजनाओं से सम्बन्धित आंवटित वृक्षों के निस्तारण हेतु स्थायी आदेश सं0 नि–3830 / 13–1 / विकास कार्य / रॉयल्टी, दिनांक 14.09.2016 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके बिन्दु सं0 7 में प्राविधानित है कि उक्त वृक्षों से उत्पादित प्रकाष्ठ आदि के विक्रय मूल्य में से वन निगम के विभिन्न कार्यो चटटाबन्दी, बीमा, प्रशासनिक व्यय आदि बावत सर्विस चार्ज @ 20% (कुल विक्रय मूल्य का) कटौती कर शेष धनराशि कार्यदायी / आंवटी संस्था, जैसा कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.03.2005 में निर्देशित है, को किया जाना है। अधीनस्थ कार्यालयों स्तर पर कतिपय भ्रान्ती होने की सूचना है। इस प्रविधान का आशय पुनः निम्वनत स्पष्ट किया जाता है:–

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (F.C.Division) के पत्रांक– F.No- 5-1/98-FC(Pt.II) दिनांक 29.03.2005 में प्राविधानित है

SL.No	Category of Land/Forests	Operational Works (felling of trees,dragging of timber, etc)	Disposal of timber and sale proceeds
1.	Notified Forests	• Operational cost to be deposited by the User Agency directly in the name of the concerned Divisional Forest Officer or the Nodal Officer. • Such operation shall be carried out by the State Forest Department.	• Timber shall be disposed of by the State Forest Department in the manner as deemed fit by it and the sale proceeds shall also accrue to the department
2.	Forests / Plantations Notified as protected Forests on the land owned by Government Departments (other than Forest Department)	• The User Agency shall be responsible for the operation at the project cost under supervision of the land owning Government Department, or • According to any other arrangements reached between the User Agency and land owning Government Department.	• Timber shall be disposed of by the land owing Government Department in the consultation with the State Forest Department, and the sale proceed shall also accrue to the land owing department, or • According to any other arrangement reached between the User Agency and land owing Government Department in consultation with the State Forest Department.
3.	Government land other than Notified Forests.		

4.	Private land	• The User Agency shall be responsible for the operation at the project cost under supervision of the land owner, or • According to any other arrangement reached between the User Agency and land owner.	• Timber shall be disposed of by the land owner in consultation with the State Forest Department, and the sale proceed shall also accrue to him, or • According to any other arrangement reached between the User Agency and land owner in consultation with the State Forest Department.

इस सम्बन्ध में भारत सरकार का पत्र दिनांक 11.12.2008 भी अवलोकनीय है। चूँकि प्रत्यावर्तित भूमि स्थित वृक्षों की विक्रय सूची, पातन/निस्तारण के आशय से, प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक को उपलब्ध कराई जाती है। अस्तु वृक्षों से उत्पादित प्रकाष्ठ आदि के विक्रय मूल्य में से नियमानुसार कटौती कर शेष धनराशि भुगतान उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रभागीय प्रबन्धक स्तर से आंवटनकर्ता/सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को कर दिया जाए ताकि प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा भारत सरकार प्राविधानुसार सम्बन्धित को धनराशि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा सके।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त प्राविधानों का परिपालन सुनिश्चित किया जाए।

(एस०टी0एस०लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :–नि–7492/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक(कार्ययोजना), हल्द्वानी।
5. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
9. वरिष्ठ लेखा प्रबन्धक (मुख्यालय/आन्तरिक सम्परीक्षा)/अन्य प्रबन्धक, अधिकारी/प्रभारी आई0टी0सैल, मुख्यालय, उ0व0वि0नि0, देहरादून।
10. **प्रतिः** (I) शिविर पत्रावली।
    (II) गार्ड फाईल।

(एस०टी0एस०लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड वन विकास निगम
(शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)
अरण्य विकास भवन, 73-नेहरू रोड, देहरादून, दूरभाष :-0135-2656810, फैक्स :-0135-2655488

पत्रांक-नि- 3830 /13-1 /विकास कार्य/रॉयल्टी दिनांक 14 सितम्बर 2016

स्थायी आदेश

विकास कार्यो से सम्बन्धित वृक्षों का आवंटन उत्तराखण्ड वन विकास निगम को निस्तारण के आशय से प्राप्त होता है जिसमें कटान, ढुलान कर उत्पादित प्रकाष्ठ की बिक्री वन निगम के माध्यम से की जा रही है। उक्त आवंटित लाटों के वृक्षों के पातन एवं ढुलान व्ययों का वहन सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/आवंटित संस्था द्वारा कये जाने के सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून के पत्र संख्या 783/1-42 दिनांक 05-09-2016 जारी किया गया है **(छायाप्रति संलग्न)**। पत्र में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जारी पत्र सं0 (1) F.No.5-1/98-FC Date 29.03.2005 एवं (2) F.No.5-1/2007-FC Date 11.12.2008 **(छायाप्रति संलग्न)** में प्रदत्त दिशा निर्देशों का उल्लेख है।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 05-09-2016 में उल्लेख है कि '***विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में देय एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पथ वृक्षारोपण एवं अन्य मदों की धनराशि को छोड़कर आवंटी लौटों के वृक्षों के निस्तारण में होने वाले व्यय का भुगतान की धनराशि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार उत्तराखण्ड वन विकास निगम को की जायेगी, ताकि विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आवंटित लौटों का त्वरित गति से निस्तारण किया जा सके।***'

उपरोक्त आदेश के आलोक में विकास कार्यो से सम्बन्धित वृक्षों के निस्तारण में क्रियान्वयन हेतु निम्नवत निर्देश प्रदत्त किए जाते हैं:-

1. विकास कार्यो से सम्बन्धित आवंटित वृक्षों की रायल्टी उ0व0वि0नि0 द्वारा भुगतान नहीं की जायेगी।
2. आवंटित लौट के वृक्षों की मौके की स्थिति, नार्म्स दर, न्यूनतम मजदूरी एवं बाजार दर को ध्यान में रखकर आवंटित वृक्षों के कटान, गिरान, लौगिंग एवं विक्रय डिपो तक ढुलान कार्यो के प्राक्कलन सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा तैयार किए जाएं एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक से अनुमोदनोपरान्त, प्राक्कलन की प्रति सहित अग्रिम धनराशि की मांग प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा कार्यदायी/आवंटी संस्था से की जाय। यह कार्यवाही आवंटन तिथि से दो सप्ताह के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाय।
3. (I) कार्यदायी/आवंटी संस्था से मांग के अनुरूप अग्रिम धनराशि प्राप्त होने पर उक्त वृक्षों का कटान, गिरान लौगिंग एवं ढुलान का कार्य त्वरित गति से अनुमन्य अवधि के अन्तर्गत प्रचलित लौगिंग निर्देशों के अनुरूप किया जाय।

   (II) समस्त उत्पादित प्रकाष्ठ आदि को निकटस्थ/निर्धारित डिपुओं तक ढुलान किया जाय एवं सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक को हस्तगत कराया जाय।

   (III) आवंटित वृक्षों का निस्तारण, लौगिंग एवं ढुलान कार्य कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक का है।
4. डिपो स्तर पर प्राप्त प्रकाष्ठ आदि का भण्डारण एवं विक्रय विकास कार्य प्रकरण वार, वन विभाग की जप्ती प्रकाष्ठ की भाँति किया जाय।
5. उ0व0वि0नि0 की प्रचलित विक्रय प्रक्रिया के अनुसार प्रभागीय विकय प्रबन्धक द्वारा उक्त प्रकाष्ठ आदि का विक्रय एवं निस्तारण किया जाय। जप्ती की ही भाँति नगद छूट अनुमन्य नहीं है। नीलाम/निविदा के दौरान कार्यदायी/आवंटी संस्था के प्रतिनिधि की उपस्थिति अपेक्षित है।

6. उक्त प्रकाष्ठ आदि के विक्रय के विरूद्ध प्राप्त धनराशि 'प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के खाते में जमा की जाय तथा विक्रय सम्पन्न होने पर, उक्त विक्रय मूल्य की धनराशि बिना किसी कटौती के सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को यथाशीघ्र हस्तगत कर दी जाय।

7. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा; विकास कार्य की लौट के उत्पादित प्रकाष्ठ आदि के विरूद्ध प्राप्त विक्रय मूल्य में से उ0व0वि0नि0 के विभिन्न कार्यो चट्टाबन्दी, बीमा, प्रशासनिक व्यय आदि बावत् सर्विस चार्ज @ 20 % (कुल विक्रय मूल्य का) कटौती कर शेष धनराशि कार्यदायी/आवंटी संस्था, जैसा कि भारत सरकार के उपरिलिखित पत्र दिनांक 29-03-2005 में निर्देशित है, को यथाशीघ्र कर दी जाय।

8. कार्यदायी/आवंटी संस्था एवं वृक्षों के आवंटन के प्राप्तकर्ता प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक उ0व0वि0नि0 के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निस्तारण हेतु सम्बन्धित महाप्रबन्धक उ0व0वि0नि0 आर्बीट्रेटर होंगे जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू किए जाते हैं।

संलग्नक :- यथोपरि।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :-नि- 3830 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।
4. प्रमुख वन सरंक्षक (कार्ययोजना), हल्द्वानी।
5. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
9. लेखाधिकारी मुख्यालय/आ0स0अ0/अन्य अधिकारी/प्रभारी आई0टी0सैल, मुख्यालय उ0व0वि0नि0, देहरादून।
10. प्रति:- (I) शिविर पत्रावली।
    (II) गार्ड फाईल।

संलग्नक :- यथोपरि।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-- /1--42 :देहरादून:दिनांक: ०७, सितम्बर, 2016

सेवा में,

1. प्रमुख अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, यमुना कालोनी,
देहरादून।

2. मुख्य अभियन्ता,
यू0आर0आर0डी0ए0,
सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

3. पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

4. मुख्य वन संरक्षक,
गढ़वाल / कुमाऊँ,
उत्तराखण्ड।

5. महानिरीक्षक,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस, उत्तराखण्ड, सीमाद्वार,
देहरादून।

6. मुख्य अभियन्ता,
शिवालिक प्रोजेक्ट, सीमा सड़क संगठन,
ऋषिकेश।

7. मुख्य अभियन्ता,
हीरक प्रोजेक्ट, सीमा सड़क सगठन,
चम्पावत।

8. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 ऊर्जा
भवन, कॉवली रोड, देहरादून।

9. मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी,
देहरादून।

10. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
मोहनी रोड, देहरादून।

11. निदेशक,
स्वजल परियोजना,
मसूरी डाईवर्जन रोड, मक्कावाला,
देहरादून।

12. मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
नेहरू कॉलोनी, देहरादून।

13. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0,
उज्जवल भवन, महारानी बाग,
देहरादून।

14. आयुक्त, वाणिज्यकर भवन,
लक्ष्मी रोड, देहरादून।

15. निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
सहस्त्रधारा रोड़,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

16. निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास 15 सी0
कालीदास मार्ग, हाथीबड़कला,
देहरादून।

17. निदेशक,
राज्य समाज कल्याण बोर्ड,
मथुरावाला रोड, अजबपुर कला,
देहरादून।

18. महानिदेशक,
स्वास्थ्य विभाग,
107 चन्दर नगर, देहरादून।

19. मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
देहरादून।

20. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
पर्यटन विकास परिषद 3/3 इंडस्ट्रीयल
एरिया, पटेलनगर, देहरादून।

21. महानिरीक्षक,
सीमा सुरक्षा बल,
अल्मोड़ा।

22. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल
विकास निगम, 74/1 राजपुर रोड,
देहरादून।

उ0व0वि0नि0, शिविर कार्यालय, देहरादून।
प्राप्ति क्र 7458 दिनांक 06/09/16

अधि0	विधि	ई0पी0एफ0	नियोजन
लेखा		आर0टी0आई0	विपणन
ऑडिट	भण्डार	भवन प्रभ,रो	खनन

संख्या 7 /1–42 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
10. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
11. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।

F.No.5-1/2007-FC
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(F.C. Division)

Paryavaran Bhawan
C.G.O. Complex, Lodi Road
New Delhi-110510
Dated: 11th December, 2008

To

All Principal Secretary (Forests),
All States.

Sub: **Clarification on payment towards cutting, felling, logging and transportation charges of project affected trees in addition to Compensatory Afforestation (CA) and Net Present Value (NPV) under the Forest (Conservation) Act, 1980.**

Sir,

I am directed to refer to various communications received from different State / UT Governments and different User / Project Implementing Agencies on the subject cited above seeking clarification on payment towards cutting, felling, logging and transportation charges of trees to the State Forest Departments in addition to Compensatory Afforestation (CA) and Net Present Value (NPV).

In this connection, I am directed to say that the matter has been examined in the Ministry in terms of various orders of Hon'ble Supreme Court of India and other relevant Acts / Rules / Guidelines on the subject including the Hon'ble Supreme Court's judgment dated 28.03.2008, and to inform that the User / Project Implementing Agencies are not required to pay the cost of trees to the State Forest Departments but are required to make payment towards cutting, felling, logging and transportation charges of project affected trees to the State Forest Departments in addition to Compensatory Afforestation (CA) and Net Present Value (NPV). The guidelines issued vide our letter no.5-1/98-FC (Pt-II) dated 29.03.2005 (copy enclosed) are relevant and in force. These contain detailed procedure in this regard.

It is also requested to bring this to the knowledge of all concerned.

Yours faithfully,

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, All States.
2. The Nodal Officer (FCA), Forest Department, All States.
3. The Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, All Regions.
4. The User Agency / Directorate General Border Roads, New Delhi with reference to their letter no.21831/FC/DGBR/64/TP (Plg) dated 05.11.2008.
5. Monitoring Cell
6. Guard File.

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Copy for information to:-

1. The Secretary (Forests), All State/UT Governments.
2. The Principal Chief Conservator of Forests, All States/UTs.
3. Nodal Officers, O/o the PCCFs, All States/UTs.
4. All Regional Offices, Ministry of Environment & Forests, New Delhi
5. RO(HQ)/Monitoring Cell, MoEF, New Delhi.
6. All AIGs (FC) / Director(FC).
7. Guard File

(Sandeep Kumar)
Assistant Inspector General of Forests